झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

आपराधिक पुनरीक्षण सं0–160 वर्ष 2020

1. अनूप कुमार दास
2. रोहित कुमार उर्फ रोहित कुमार दास .... याचिकाकर्त्तागण

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष।

उपस्थित : माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक रोशन

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री एस0के0 देव, अधिवक्ता

राज्य के लिएः– श्री रवि प्रकाश, ए0पी0पी0

03 / दिनांकः 18 / 05 / 2020

1. वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, देवघर द्वारा आपराधिक अपील संख्या 01 / 2020 में दिनांक 01.02.2020 को पारित आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके द्वारा किशोर न्याय (बालकों के देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम की धारा 101(2) के अधीन दायर की गई अपील को खारिज कर दिया गया था और भा0दं0सं0 की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120बी और आई0टी0 अधिनियम की धारा 66(बी),(सी) (डी) एवं 84 (सी) के तहत अपराध के लिए इन्क्वायरी संख्या 139 / 2019 के संबंध में देवघर (साइबर) थाना काण्ड संख्या 65 / 2019 में विद्वान प्रधान दण्डाधिकारी,

किशोर न्याय बोर्ड, देवघर ने दिनांक 10.12.2019 के आदेश द्वारा याचिकाकर्त्ताओं की जमानत प्रार्थना को खारिज कर दिया था, की पुष्टि की गई है।

2. याचिकाकर्त्ताओं के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि दोनों याचिकाकर्त्ता नाबालिग हैं और उन्हें दिनांक 06.11.2019 के आदेश द्वारा किशोर घोषित किया गया है। उन्होनें आगे कहा कि याचिकाकर्त्ताओं को 15.09.2019 को गिरफ्तार किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उन्हें दिनांक 16.09.2019 को प्रतिप्रेषण गृह भेजा गया था। याचिकाकर्त्ताओं के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्त्ताओं के संबंधित प्राकृतिक संरक्षक/पिता उचित देखभाल करने के लिए तैयार हैं और वे संबंधित याचिकाकर्त्ताओं की पूर्ण देखरेख और उचित देखभाल के लिए वचनबद्ध हैं।

4. दूसरी ओर विद्वान ए0पी0पी0 ने याचिकाकर्त्ताओं की जमानत प्रार्थना का विरोध किया और निवेदन किया है कि याचिकाकर्त्ता के विरूद्ध आरोप गंभीर प्रकृति का है।

5. मामले के पूर्वोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए और विशेष रूप से इस तथ्य के मद्देनजर कि याचिकाकर्त्ता दिनांक 16.09.2019 से प्रतिप्रेषण गृह में रह रहे हैं, याचिकाकर्त्ताओं को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया है, वर्तमान में प्रत्येक याचिकाकर्त्ता के प्राकृतिक संरक्षक/पिता द्वारा 5,000/– रू0 के व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, उसके बाद जब लॉकडाउन की अवधि समाप्त हो जाती है तो याचिकाकर्त्ताओं के पिता, जिन्होनें वकालतनाम निष्पादित किया है, लॉकडाउन हटाने की तारीख से एक महीने के अवधि के भीतर, इन्क्वायरी संख्या

139/2019 से संबंधित देवघर (साइबर) थाना काण्ड संख्या 65/2019 में विद्वान प्रधान दण्डाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड, देवघर के संतुष्टि के प्रति समान राशि के दो प्रतिभूतियों के साथ 20,000/– (बीस हजार) रू0 की जमानत बंधपत्र प्रस्तुत करेंगे।

6. यह स्पष्ट किया जाता है कि संबंधित याचिकाकर्त्ताओं के प्राकृतिक संरक्षक/पिता किशोर याचिकाकर्त्ताओं की उचित देखभाल करेंगे और उनका ध्यान रखेंगे। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित किशोर पूरी निगरानी और उचित देखभाल के अधीन होगा। इसके अलावा, याचिकाकर्त्ताओं के संबंधित पिता यह सुनिश्चित करेंगे कि किशोर, किशोर न्याय बोर्ड, देवघर के समक्ष लंबित जांच में सहयोग करेंगे।

7. नतीजतन, इस आवेदन को पूर्वोक्त शर्तों के अधीन अनुज्ञात किया जाता है।

(दीपक रोशन, न्याया0)